

2018/1013

प्रतिवेदन पत्रकारी हल्का

प्रशासन गाँवी के संघ अधिनियम- 2023

प्रतिवेदन पत्रकारी हल्का: 113

दीवानी

राजस्व घात 113 की जमाबंदी संख्या 2074-77 के खाता संख्या 184 416 423 में प्रार्थी का नाम प्रेमलाल पुत्र/पुत्री/पति नारायण राम जाति माली एवं राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी का वास्तविक नाम प्रेमलाल मेल है। जिसके शासन के रूप में प्रार्थी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जीव प्रतिवेदन पत्रकारी हल्का एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम प्रेमलाल मेल पुत्र नारायण राम दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर 16/6/23

जांच प्रतिवेदन भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त: 113

दीवानी

राजस्व घात 113 की जमाबंदी संख्या 2074-77 के खाता संख्या 184 416 423 में प्रार्थी का नाम प्रेमलाल पुत्र/पुत्री/पति नारायण राम जाति माली एवं राजस्व रिकॉर्ड है। सनघ दस्तावेज :- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जीव प्रतिवेदन पत्रकारी हल्का एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम प्रेमलाल मेल दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक

LR-4  
16/06/23

जांच प्रतिवेदन तहसीलदार ( भू- अभिलेख ), श्रीमाधोपुर

दीवानी

राजस्व घात 113 की जमाबंदी संख्या 2074-77 के खाता संख्या 184 416 423 में प्रार्थी का नाम प्रेमलाल पुत्र/पुत्री/पति नारायण राम जाति माली एवं राजस्व रिकॉर्ड है। सनघ दस्तावेज :- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जीव प्रतिवेदन पत्रकारी हल्का एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम प्रेमलाल मेल पुत्र/पुत्री/पति नारायण राम जाति माली दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित है।

तहसीलदार (भू.अ.)  
श्रीमाधोपुर (भू.अ.)  
हस्ताक्षर तहसीलदार  
( श्रीमाधोपुर )

आदेश ( गिविर स्थान:- ..... दिनांक:-..... )

जांच प्रतिवेदन पत्रकारी हल्का:- 113, जांच प्रतिवेदन भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त:- 113, जांच प्रतिवेदन तहसीलदार ( भू- अभिलेख ), श्रीमाधोपुर तथा सनघ दस्तावेज:- आधार-कार्ड, पहचान-पत्र, राशन-कार्ड के ( राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा - 136 के अन्तर्गत ) राजस्व घात- 113 के खाता संख्या:- 184 416 423 का नाम प्रेमलाल मेल पुत्र नारायण राम के स्थान पर प्रेमलाल मेल पुत्र नारायण राम दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित है।



शिविर स्थानीय अभिलेखारी  
प्रशासन गाँवी के संघ अधिनियम 2023  
उपखण्ड अधिनियम (श्रीमाधोपुर)  
पंचायत समिति- श्रीमाधोपुर